रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4450] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2018/कार्तिक 18, 1940
No. 4450] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2018/KARTIKA 18, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2018

का.आ. 5662(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत:--

उक्त, अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं.18 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, नामत:-

तालिका

1	2	3
"18.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 [किमी 124.10 से किमी 172.90 (दीमापुर – कोहिमा - मावो खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 61, सं. 155, नई रारा सं. 129ए, 702, 702ए, 702बी, 102डी,	नगालैंड राज्य सरकार"।

	329ए और 229 के उतने भाग जो नगालैंड राज्य में अवस्थित हैं।	

[फा. सं. एनएच-14013/5/2018-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार का.आ. **5567**(अ), दिनांकित **29.10.**2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2018

S.O. 5662(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Table to the said notification, for serial number 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"18	So much of National Highways No. 39 [excluding from km 124.10 to Km. 172.90 (Dimapur-Kohima-Mao Section)}, No. 61, No. 155, new NH No. 129A, 702, 702A, 702B, 702D, 329A and 229 as are situated within the State of Nagaland.	State Government of Nagaland."

[F. No. NH-14013/5/2018-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 5567 (E), dated the 29.10. 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2018

का.आ. 5663(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	चैनेज किमी में
(1)	(2)	(3)
“150	(कोहिमा – जेस्सामी खंड) (नागालैंड राज्य में)	किमी 671.00 से किमी 791.00

[फा. सं. एनएच-14013/5/2018-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2018

S.O. 5663(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

Table

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
“150	Kohima-Jessami Section (In the State of Nagaland)	Km 671.00 to Km 791.00

[F. No. NH-14013/5/2018-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.11.13 16:50:45 +05'30'